



R.A for
report
24/07/20

न्यायालय श्रीमान उम शंका अधिकारी महोदय,

तिजारा जिला अलवर (राज0)

संख्या 44/2020
24/7/2020 - सन् 2020

1- राजेश्वर उम करीब 61 साल पुत्र श्री रघुबीर जाति अहीर निवासी
गैनाकी तहसील तिजारा, जिला अलवर (राज0)

वादी

बनाम:-

1- मुरली पुत्र श्री जवाहर जाति अहीर निवासी गैनाकी, तहसील तिजारा,
जिला अलवर (राज0)

2- राजेश कुमार गोयल पुत्र श्री आर.पी.गोयल जाति महाजन निवासी
सी 53, फस्ट फ्लोर मालवीयनगर, नई दिल्ली

3- राज0 सरकार जरिये गूमिधारी तहसीलदार साहब, तहसील तिजारा, जिला
अलवर (राज0)

जिला अलवर
(राज0) उमरी

प्रतिवादीगण

दावा तकरामा आराजी गय
हुकाइतनाईदवागी अन्तर्गत धारा 53 व
188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955

Murmel
श्रीमानजी

जिला अलवर
(राज0) उमरी

1- यह है कि हाल आराजीयात खसारा नम्बर 156 रकबा 0.71 है0, 157
रकबा 0.57 है0 किता 2 रकबा 1.28 है0 वाके इब्राहिमपुर, तहसील
तिजारा जिला अलवर में स्थित है जो आराजी गिन वादी एवं प्रतिवादीगण
संख्या 1 लगायत 2 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।

आदेश

- 1) कोर्ट फीस देना है
- 2) तमबाना लाना है
- 3) वाद होत्राधिकार को अपकर्षा है

24/07/2020

S.D.O. / S.M.

Registrar
Issue notice

24/07/20

अपके

पत्रावली प्रकाशन भौदों के संग अनिकन-2021
 कोर्ट में पंजायत मुकदमा... 2111/2013
 पर पेश हुई। पक्षकारान को उपस्थित
 कोर्ट कैंप में प्रकरण का निपटारा करने के लिये।
 अतः पत्रावली पूर्व में...

शिविर प्रभारी

उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर, तिजारा (अनवर)

पत्रावली पेश हुई दिनांक 08/07/2020 को पेश की

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अनवर)

04/22

आज पत्रावली पेश हुई वाली आदेश अनुसार
 वाद-2 शकल लगाते हुए वाली आदेश अनुसार
 पत्रावली आदेश जारी क आदेश पेश के कारिन
 भिजा जाना है पत्रावली वाद निर्णय वाद तमबाना
 नाल के लिये होकर जारी है

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अनवर)